पुरूष और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार : महिलाओं के संघर्ष के पूरक मेनइंगेज द्वारा तैयार एक अवधारणा दस्तावेज़

1. परिचय

मेनइंगेज गठबंधन पूरी दुनिया में .....देशों में छह सौ से अधिक सदस्यों का वैश्विक गठबंधन है जो कि लैंगिक समानता की दिशा में पुरूषों और युवाओं की भागीदारी और ज़िम्मेदारी को मज़बूत करने और नये तरीके खोजने के उद्देश्य से बनाया गया है। मेनइंगेज गठबंधन के अनेकों रणनीतिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य लैंगिक समानता और सभी के लिए यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार है। जिसके लिए क्षेत्रीय और लगभग पचास देशों के नेटवर्क तथा सैकड़ों सदस्यों को सामूहिक अभियान द्वारा एकजुट करना है। सभी के लिए बेहतर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार को बढ़ावा देने में पुरूषों को इससे जोड़ा जायेगा और उनको एकजुट किया जायेगा जिससे कि वह महिलाओं की यौन प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार तक पहुंच और इसके उपयोग में सहयोग कर सकें। इसके लिए मेनइंगेज 2014 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटकों के साथ मिलकर वैश्विक अभियान की शुरूआत करेगा। यह पहल महिलाओं के अधिकारों पर काम कर रहे संगठनों की मदद से तैयार किया जायेगा। इसमें यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर काम कर रहे संगठन भी शामिल हैं।

यह दस्तावेज़ इसके औचित्य, सिद्धातों और इसकी प्राथामिकताओं की पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है।

2. औचित्य

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार : महिलाओं का सतत् संघंर्षः बच्चे को जन्म देने की क्षमता महिलाओं और पुरूषों के बीच सबसे बुनियादी फ़र्क है। प्राचीन काल से महिलाओं की यह क्षमता आदरणीय रही है और प्राचीन सभ्यताओं की कलाकृतियां इसकी गवाह रही हैं। हालांकि सभ्यता और पितृसत्ता के उदय के साथ महिलाओं की यौनिकता और प्रजननता पर नियंत्रण को लेकर दुनियाभर में एक जैसी ही सोच पाई जाती है। बीसवीं सदी में मार्गेट सेंगर और मेरी स्टोप्स जैसे अग्रदूतों के साथ प्रजनन और यौन अधिकारों के लिए महिलाओं के संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहल थी। इन्होंने महिलाओं के बच्चे पैदा करने या यौन सुख को नियंत्रण करने के लिए गर्भनिरोधकों के उपयोग तथा उस तक पहुंच की क्षमता स्थापित करने के लिए सामाजिक मापदंडों को चुनौती दी और खतरों को झेलते हुए जेल भी गईं। जनसंख्या और विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई.सी.पी.डी. काहिरा 1994) और चौथा विश्व महिला सम्मेलन (बीजिंग 1995) से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के विचार नीति निर्माण की औपचारिक चर्चा में आये। प्रजनन तथा यौन अधिकारों के लिए महिलाओं के संघर्ष की कहानी पर बीस साल बाद तक खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी भी दुनियाभर के कई देशों और समाजों में महिलाओं को गर्भपात, गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल और यहां तक कि सुरक्षित प्रसव की आज़ादी नहीं मिली है।

यौन सम्बन्धों और प्रजनन को लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों में दुनियाभर में विविधता पाई जाती है। कई धर्मों में किसी व्यक्ति के लिए बह्मचर्य या सन्यास को प्रजनन और यौन स्थिति को आदर्श अवस्था कहा गया है जोकि भगवान से सीधा संवाद स्थापित करता है दूसरी तरफ़ कई

समाजों में बहु–विवाह को मंजुरी मिली हुई है। वही कई समाजों में एक से अधिक विवाह संबंधों पर असहमति जताई जाती है। एक तरफ़ तो समलैंगिक लोगों के बीच यौन संबंधों को कुछ समाजों में शादी की मान्यता मिलती है वहीं दूसरी ओर इसको अपराध माना जाता है। यही समाज जो खुद के लिए शादी के संबंधों को आदर्श मानता है वहीं कुछ सालों पहले तक 'दासों' को इसके लिए हत्तोसाहित करता था। एक तरफ़ जहां अधिकांश समाज 'पेट्रीलोकल' (Patrilocal) है – जहां महिलाएं शादी के बाद पति के घर जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ समाज 'मेट्रीलोकल' (Matrilocal) है – जहां पुरूषों को शादी के बाद पत्नी के घर जाकर रहना पड़ता है। विवाह के बाद प्रजनन या बच्चे के जन्म की उम्मीद की जाती है और जो महिलाएं बच्चे पैदा करने मे असमर्थ होती हैं उनको समाज से तिरस्कार मिलता है। हालांकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं परन्तु पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण बच्चे को पिता का नाम मिलता है। कई मामलों में एक औरत के बच्चों की संख्या न केवल परिवार के दबाव बल्कि धार्मिक और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं पर भी निर्भर होता है। हालांकि विभिन्न प्रथाओं में विविधता है लेकिन इन सब में दुनियाभर में किसी भी समाज में महिलाओं को बहुत ही कम प्रजनन या यौन स्वायत्ता मिली हुई है।

समानता की समझ और मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता बीसवीं सदी की एक शक्तिशाली टूल है। अधिकारों के विचार ने ना केवल व्यक्तियों और समुदायों की आकांक्षाओं को एक नये सिरे से परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया बल्कि सामाजिक मापदंडों में व्याप्त भेदभावों की ओर ध्यान आकर्षित कराया जोकि धर्म और देश के आधार पर हो रहा था। मानव अधिकारों को लेकर गलियों से लेकर कांफ्रेस रूम तक किए गए विभिन्न संघर्षों का ही परिणाम है कि कानूनी और नीतिगत सुधार हो पाये लेकिन अभी भी कई सुधारों का होना बाकी रह गया है। कई समुदायों में यौनिकता और प्रजनन से सम्बन्धित कानूनी सुधारों के बावजूद सामाजिक मापदंड काफ़ी कठोर हैं। महिलाएं इन प्रतिबन्धित मापदंडों से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहीं हैं। अधिकारों और स्वतन्त्रता के अधिकार के संघर्षो को महिला आंदोलनों के जरिए आगे बढ़ाया गया। कुछ जगहों पर यौन स्वायत्ता के संघर्ष को प्रजनन स्वायत्ता के साथ नही जोड़ा गया।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के संघर्ष का संक्षिप्त इतिहास – महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकारों के लिए संघर्ष में बीसवीं सदी के आसपास महिलाओं के अधिकारों को लेकर तीव्र संघर्ष किये गये। बीसवीं सदी के शुरूआती वर्षों में यह संघर्ष महिलाओं द्वारा जन्म नियन्त्रण या गर्भनिरोधकों के उपयोग तथा उस तक पहुंच के आस–पास केन्द्रित थे। अमेरीका में उन्नीसवीं सदी के अन्त से एक कानून था जिसको कामस्टॉक (Comstock) कानून कहा जाता था। इस कानून के तहत गर्भनिरोधकों की बिक्री और उसके वितरण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था और इसको 'अश्लील' माना जाता था। मार्गरेट सेंगर, जोकि इग्लैंड मे नर्स थीं जिन्होंने अपनी मां को कई बच्चों के जन्म से उत्पन्न हुई तकलीफ़ों को झेलते हुए देखा था, उन्होंने अमेरीका में जन्म नियंत्रण क्लिनिक शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि पुलिस ने उनके क्लिनिक पर छापा मारकर उनके काम को अवैध घोषित कर दिया था। मार्गरेट सेंगर ने इग्लैंड की यात्रा की और वहां उनकी मुलाकात यौन शिक्षा की अग्रदूतों में से एक मेरी स्टोप्स से हुई। मेरी स्टोप्स ने यौन शिक्षा पर कई किताबें लिखीं जिसमें सबसे लोकप्रिय 'मैरिड लव' थी। इसके अलावा उन्होंने लंदन में पहली बार परिवार नियोजन क्लिनिक शुरू किया था। मार्गरेट सेंगर को अपने काम की

वजह से 1930 तक लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 1930 में जब संयुक्त राज्य अमेरीका बनाम एक पैकेज 86 एफ, 2डी 737 (2डी सर्कुलर 1934) जस्टिस ऑगस्टस हेन्ड ने यह निर्णय दिया कि डाक्टरों द्वारा वितरित या बेचा जाने वाला गर्भनिरोधक अनैतिक या अश्लील उपकरण नहीं है। हालांकि विवाहित महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध अमेरीका के कई राज्यों में फिर भी जारी रहा। 1965 में अमेरीका की सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीसवर्ल्ड बनाम कनेक्टिकट के संदर्भ में दिये अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में कामस्टॉक कानून के प्रावधान को निरस्त करते हुए महिलाओं की गोपनीयता के संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार को बरकरार रखते हुए गर्भनिरोधक के इस्तेमाल को सही ठहराया। कामस्टॉक कानून के सभी प्रावधानों को 1983 तक आते–आते पूरे देश से पूरी तरह से हटा दिया गया। इस कानून को सत्त चुनौती मार्गरेट सेंगर, एम्मा गोल्डमेन, मरियम डेनेट जैसे चैम्पियनों के लंबे संघर्षों के बाद ही संभव हो पाई।

महिलाओं द्वारा गर्भपात अभी भी महिला अधिकारों के लिए एक विवादास्पद विषय है क्योंकि आज भी कई देशों में गर्भपात सेवाएं अवैध हैं और बड़ी संख्या में देश कुछ विशेष परिस्थितियों में ही गर्भपात की अनुमति देते हैं। अंग्रेज़ी–भाषी दुनिया में गर्भपात, उन्नसीवीं सदी में बने कानून के तहत अभी भी आपराधिक कृत्य है हालांकि विभिन्न तरीके से गर्भपात किये जा रहे है। अमेरीका में कामस्टॉक कानून के तहत गर्भपात से संबंधित जानकारी और उसके वितरण पर रोक थी और 1910 तक अमेरीका के सभी राज्यों में गर्भपात विरोधी कानून लागू थे। दूसरी तरफ़ फ्रांस में गर्भपात को लेकर लेखकों में खुली चर्चा होती थी और विशेषज्ञों की देखरेख में अनचाहे गर्भधारण से छुटकारा पाने का सुरक्षित तरीका माना जाता था। अमेरीका में इस तरह से विशेषज्ञ की देखरेख में गर्भपात को नकार दिया और इंग्लैंड में गर्भपात के लिए असुरक्षित तरीकों का सहारा लिया जोकि एक खतरनाक प्रक्रिया थी। गर्भपात कानून के वैश्विकरण के लिए आंदोलन, गर्भनिरोधकों के लिए इस्तेमाल के तुरंत बाद शुरू हो गया था। स्टेला ब्राउन, प्रख्यात बिट्रिश नारीवादी, इसमें अग्रणी कैम्पेनर रही थीं जिन्होंने 1920 के दशक में गर्भपात को महिलाओं के अधिकार के लिए बड़े ज़ोर–शोर से पैरवी की। जल्द ही अन्य उल्लेखनीय नारीवादी भी इसमे शामिल हो गये और इन्होंने 1936 में मिलकर गर्भपात कानून सुधार एसोसिएशन का गठन किया। 1938 में रेक्स बनाम बॉर्न के मामले में डॉक्टर ऐलेक बॉर्न को 14 वर्षीय बलात्कार पीड़ित लड़की के गर्भपात करने के लिए दोषी नहीं माना गया। हालांकि बिट्रेन में औपचारिक कानूनी सुधार के लिए 1967 तक इंतज़ार करना पड़ा जब नेशनल हेल्थ सर्विस एक्ट के तहत गर्भपात सेवाओं को नेशनल हेल्थ सर्विस के द्वारा सशक्त किया गया। अमेरीका में गर्भपात के खिलाफ़ संघर्ष 1960 के दशक में तेज़ हो गया जब इस संघर्ष से जुड़े विभिन्न संगठनों ने गर्भपात पर राय जुटाने के काम में तेज़ी दिखाई। यह सभी समूह राष्ट्रीय गर्भपात राइट्स एक्शन लीग (NARAL) के तहत एक साथ आए थे। उनकी सक्रियता के परिणामस्वरूप अलग–अलग राज्यों ने गर्भपात को अपराध–मुक्त घोषित करना शुरू कर दिया और फिर अमेरीका की सुप्रीम कोर्ट के रॉ बनाम वाडे केस के सिलसिले में अभूतपूर्व निर्णय दिया कि यह निजता के कानून का उल्लघंन है और गर्भपात को लेकर टेक्सास का कानून असंवैधानिक है। दुनिया के विभिन्न भागों में गर्भपात और गर्भनिरोधक राज्य और धार्मिक संस्थाओं के सख्त नियंत्रण में बने रहे। खासतौर पर लैटिन अमेरीका के देश जोकि रोमन कैथोलिक के प्रभाव में थे तथा वह देश जो इस्लाम के प्रभाव में रहे उन देशों में महिलाओं द्वारा इन सेवाओं को लेकर रोक जारी रही। 1968 में मानव अधिकार पर अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन जो तेहरान में सम्पन्न हुआ था उसमें

प्रजनन अधिकारों के विचार को परिवार नियोजन की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कपल को अधिकार देने के साथ उत्पन्न हुआ। हालांकि 1974 में बुखारेस्ट में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन में अल्जीरिया, अर्जेंटीना और होली[1] द्वारा परिवार नियोजन का सख्त विरोध किया। हालांकि जनसंख्या पर हुए इन सम्मेलनों ने विशेष रूप से एशियाई देशों में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्याा पर वैश्विक चिंताओं को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके फलस्वरूप परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण विकास के मुद्दे के रूप में स्थापित हुआ और जिसको द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तपोषण के द्वारा हल करने पर बल दिया गया। लेकिन भारत की तरह कई देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम महिलाओं को लक्षित करते हुए बेहद आक्रमक रहे। कई देशों में यह कार्यक्रम गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाए गये। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्घारित परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर काम कर रहे महिलाओं संगठनों और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे महिलाओं संगठनों के बीच फूट पैदा हुई।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 में मेक्सिको सिटी में आयोजित महिलाओं के प्रथम विश्व सम्मेलन के बाद महिलाओं के आंदोलन के वैश्विकरण ने जगह ले ली। यह सम्मेलन दुनियाभर के महिला अधिकारों पर काम कर रहे विद्धानों और कार्यकताओं, जहां महिला आंदोलन शुरू हो चुके थे उनको एक मंच पर लेकर आया। प्रजनन अधिकारों का विचार और इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए सूचना और सेवाओं के आदान–प्रदान की आवश्यकता और उनके मानव अधिकारों का प्रयोग करने के लिए महिलाओं के समग्र क्षमता को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जोड़ा गया। आगे आनेवाले सालों में श्रृखंलाबद्व दूसरे वैश्विक मींटिगों और सम्मेलनों जिसमें 1984 में मेक्सिको में आयोजित पापुलेशन कॉन्फ्रेस, 1984 में ही नैरोबी में आयोजित सुरक्षित मातृत्व सम्मेलन और 1985 में नैरोबी में खत्म हुए महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र के दशक सम्मेलन शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं ने महिलाओं के अधिकारों की मांग का अर्न्तराष्ट्रीयकरण किया और महिलाओं द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी तथा प्रजनन अधिकारों का भरपूर उपयोग की कमी की ओर ध्यान आकर्षित कराया। तथा दुनिया के विभिन्न भागों में देश के स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य अधिकार संगठनो की स्थापना के लिए संघर्ष तेज़ हो गया था। इनमे से कुछ डी. ए. डब्लू. एन. (डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव विद वूमेन फॉर न्यू इॅरा) डब्लू. जी. एन. आर. आर. (वूमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिर्पोडक्टिव राइट्स), और एल. ए. सी. डब्लू. एच. एन. (लेटिन अमेरीकन कैरिबियन वूमेन्स हेल्थ नेटवर्क) जैसे संगठन शामिल थे। महिलाओं के आंदोलन के अन्तर्राष्ट्रीयकरण से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे जिसमें बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण, मातृत्व स्वास्थ्य, मादा जननांग विकृति/काटना, कम उम्र में शादी और गर्भावस्था, यौन हिंसा और यौन पहचान जैसे मुद्दों को एजेंडे में शामिल किया गया। इन संगठनों की सामूहिक ऊर्जा ने 1993 में वियना में मानव अधिकारों पर अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन, 1994 में काहिरा में आयोजित जनसंख्या और विकास पर अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन तथा 1995 में बीजिंग में हुए चौथे महिलाओं पर विश्व सम्मेलन में महिलाओं के समूहों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। मानव अधिकार, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य और अधिकार के रूप में महिलाओं के अधिकारों पर मौजूदा अर्न्तराष्ट्रीय आम सहमति

[1] विश्व जनसंख्या पॉलिसियां : उनकी शुरूआत, उत्पति और प्रभाव ; जॉन एफ, मई 2012 स्प्रींगर

इन दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों में हासिल समझ का नतीजा है। हालांकि यह संघर्ष जारी है और मुख्य चुनौती को इस तरह अनुवादित किया जा सकता है *''इस असंबद्ध पारी को प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों में तब्दील करना काफी हद़ तक वैश्विक आर्थिक प्रक्रियाओं, धार्मिक और सांस्कृतिक बलों पर निर्भर करता है जिनकी संस्थागत ताकत नारीवादी संगठनों की तुलना में कहीं अधिक है और जिसको यह नारीवादी संगठन शायद ही प्राप्त कर सकते है...''* कई मायने में वह बयान उन पुरूषों और युवाओं के लिए एक चुनौती की तरह है जोकि लैंगिक समानता के लिए महिलाओं के संघर्ष का हिस्सा बनने जा रहे हैं।

3. यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार और पुरूष

इन संघर्षो में पुरूषों की भागीदारी बहुत ही सीमित रही थी। इसके बजाय पुरूषों ने अपनी शक्ति और कंट्रोल को पितृसत्तात्मक मापदंड जो कि किसी भी समाज में महिलाओं की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को कंट्रोल करने में निहित है, करने में लगाया। इसलिए एक महिला कब शादी करेगी उसके कितने बच्चे हों, यह कुछ ऐसे एरिया है जिस पर दुनियाभर में महिलाओं का कंट्रोल काफी सीमित है। दुनिया के बहुत से देशों में महिला को अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए मनाही है। यह परिवार के पुरूषों और काफ़ी हद़ तक समाज द्वारा नियंत्रित होता है। पुरूष महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं और यह हिंसा न केवल घर के बाहर बल्कि घर के भीतर भी परिवार की महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो सकती है। समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव से पुरूष ही लाभान्वित होते हैं और कुछ ही पुरूष हैं जो इस असमान प्राथमिकता के भेदभाव को चुनौती देते हैं।

पुरूष एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार और सरकार – यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के इतिहास में महिलाएं ही केन्द्रित रहीं, पुरूषों की सीमित जुड़ाव इस मुद्दे से अलग–अलग कारणों से हुआ।

1. **बढ़ती आबादी** – बढ़ती आबादी, खासतौर से दक्षिणी देशों में, यह हमेशा ही उत्तरी हिस्से के देशों में प्रमुख चिन्ता का कारण बनी रही। पुरूषों का परिवार नियोजन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा गया परन्तु महिलाओं के लिए परिवार नियोजन के अनेकों साधनों की उपलब्धता की वजह है फ़ोकस उन पर स्थानातंरित हो गया।
2. **संक्रमित रोग, विशेषरूप से एच.आई.वी. और एड्स** – पुरूषों में एक से अधिक सेक्स पार्टनर की वजह से महिलाओं के जोखिम में काफी वृद्धि हुई, इसकी वजह से विशेषकर दक्षिणी विश्व के देशों के पुरूषों, का यौन व्यवहार जांच के दायरे में आया।
3. **हिंसा, विशेषरूप से यौन हिंसा** – पुरूषों द्वारा विवाह बंधन के अन्दर और बाहर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के कारण अब यह नीतिगत चिन्ता का विषय बन चुका है।
4. **समलैंगिकता** – पुरूषों का पुरूषों के साथ यौन संबंध हमेशा से ही निन्दनीय रहा परन्तु बीते कुछ वर्षो से यह गहन जांच के दायरे में आ गया है।

उपरोक्त चार नीतिगत चिंताओं के अलावा पांचवी चिंता भी है जोकि अलग–अलग पुरूषों की व्यक्तिगत चिन्ताओं से जुड़ी है।

5. **यौन स्वास्थ्य, विशेषरूप से यौन क्षमता** – एच. आई. वी. और एड्स तथा यौन जनित बीमारियों की वजह से पुरूषों के यौन स्वास्थ्य की ओर ध्यान आर्कषित हुआ। दुनिया के कई देशों के पुरूष अपने यौन स्वास्थ्य और यौन क्षमता को लेकर बेहद चिन्तित रहते है। वीर्य को लेकर उत्सुकता को दक्षिण एशिया में दस्तावेज़ किया गया है और हस्तमैथुन से सम्बंधित मिथक शायद सभी संस्कृतियों में एक जैसी ही हैं। हाल के दिनों में 'सिल्डेनाफिल साइट्रेट'' या 'वियाग्रा' की हाथों–हाथ बिक्री पुरूषों की क्षमता से जुड़ी चिन्ताओं को दर्शाने के लिए काफ़ी है। हालांकि इसके लिए शायद ही कोई औपचारिक सेवाएं उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था है।

उपरोक्त कारणों से पुरूषों (विशेषरूप से दक्षिण एशिया के गरीब) की अंतर्निहित छवि उभर कर आती है कि वह गैर–ज़िम्मेदार हिंसक यौन अय्याश होते हैं और कभी–कभी एक ही लिंग के साथ यौन व्यवहार में संलिप्त होते है। हालांकि यह स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है जिस तरह से पुरूष समय–समय पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य प्रोग्राम से जुड़े। इसमे सबसे प्रमुख यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा पुरूष नसंबदी कार्यक्रम था। वर्तमान में अमेरीका में ''एनजेंडर हेल्थ'' के नाम से जाने वाला संगठन जोकि 1937 में ''स्टेलाईजेशन लीग ऑफ अमेरीका'' के नाम से शुरू हआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पुरूषों को युजनिक नसबंदी के ज़रिये नस्लीय लगाम लगाना था क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए नसबंदी के आसान साधन उपलब्ध नहीं थे। यहां यह कहना उचित होगा कि पुरूषों में यूजनिक नसबंदी की विशेषरूप से (यहुदी, जिप्सी और काले लोगों के खिलाफ़) जर्मनी में नाज़ी द्वारा तथा यूरोप के दूसरे देशों और अमेरीका में किया जाता था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया था। शुरूआत में इस कार्यक्रम में पुरूष नसबंदी पर ज़ोर दिया गया जिसके द्वारा पुरूषों को ''राष्ट्र निर्माण'' प्रक्रिया और छोटे परिवारो की राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ा गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकार के मौलिक सिद्धान्त कि ''सभी मनुष्य बराबर पैदा होते है'' ने ज़ोर पकड़ा तो यूजनिक नसबंदी को मिली बदनामी के कारण इस पर रोक दी गयी।

हालांकि इसके बाद नया जुनून – बढ़ती आबादी का डर – विशेषरूप से दक्षिण एशियाई देशों में, जिसमें भारत भी शामिल था, और जनसंख्या नियत्रंण ने विश्व का ध्यान केन्द्रित किया। इसके लिए भारत में 1970 के दशक की शुरूआत में बड़े पैमाने पर पुरूष नसबंदी शिविर लगाये गये और ''आपातकाल'', 1975 से 1977 के 18 महीनों के दौरान, नीतिगत दृष्टिकोण के अर्न्तगत 1 करोड़ 20 लाख पुरूष नसबंदी आपरेशन किए गये। यह आपरेशन पुरूषों को अक्सर सड़कों से ज़बरदस्ती खींचकर उनकी मर्ज़ी के विरूद्ध किये गये। हालांकि जनसंख्या नियत्रंण करने के उद्देश्य से पुरूष नसबंदी करने वाला भारत अकेला देश नही था। यह ज्ञात हो कि 1980 के दशक में महिलाओं के लिए मिनी लेप्रोटोमा ओर लेप्रोस्कोपिक नसबंदी उपलब्ध होने से पहले दुनियाभर के देशों में बलपूर्वक नसबंदी कार्यक्रम पुरूषों पर ही केन्द्रित थे। और इस तरह पुरूष ही यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के अन्तर्गत बलपूर्वक जनसंख्या नियत्रंण के दर्दनाक इतिहास के गवाह रहे है।

हालांकि इसके बाद यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार सम्बन्धित के अनेकों प्रयासों में पुरूषों को जोड़ने की कोशिश की गई। इसमें पुरूषों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित निर्णय लेने की प्रक्रिया में गेटकीपर की भूमिका – जिसमें पितृसत्तात्मक नियत्रंण या उनके पैतृक सहानुभूति को मज़बूत करना शामिल रहा है। हाल के वर्षों में सामाजिक संरचना में जेंडर की भूमिका के सूक्ष्म अध्ययन से निकले परिणामों के बाद पुरूषों को जेंडर जस्टिस फ्रेमवर्क के अर्न्तगत पुरूषों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों से जोड़ने की शुरूआत हुई।

बाक्स 1: यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में पुरूषों को शामिल करने के दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	उद्देश्य और मान्यताएं	कार्यक्रम संबंधी निहितार्थ
महिलाओं के लिए पारम्परिक परिवार नियोजन	गर्भनिरोधक के उपयोग में वृद्धि करना; प्रजनन क्षमता को कम करना दक्षता के दृष्टिकोण से पुरूषों को शामिल करना ज़रूरी नहीं	महिला एवं बाल स्वास्थ्य के नज़ारिये से महिलाओं को गर्भनिरोधकों तक पहुंच बढ़ाना
1994 मे काहिरा में हुआ जनसंख्या और विकास पर वैश्विक सम्मेलन		
पुरूष ग्राहक के तौर पर	पुरूषों की प्रजनन स्वास्थ्य ज़रूरतों को सम्बोन्धित करना	प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, उसी तरह पुरूषों तक भी पहुंचाना पुरूषों को स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर जोड़ना
पुरूष पार्टनर के तौर पर	पुरूषों को महिलाओं के स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में केन्द्रीय भूमिका में लाना	महिलाओं के स्वास्थ्य को सपोर्ट करने के लिए पुरूषों को जोड़ना। उदाहरण के लिए पति को प्रसव के दौरान महिला का कठिन दर्द की प्रक्रिया के दौर से रूबरू कराना; परिवहन योजना को कैसे विकसित किया जाये; महिलाओं के स्वास्थ्य के नज़रिये से परिवार नियोजन की अहमियत को बताना
पुरूष सकारात्मक परिवर्तन एजेंट की भूमिका में	लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के परिपेक्ष्य में महिलाओं और पुरूषों के स्वास्थ्य में सुधार लाना असमानता को सम्बोधित करने के लिए पुरूषों का सहयोग और भागीदारी	प्रोग्राम की संरचना कैसी हो, और सेवाओं की पहुंच किस तरह से हो इसमें पेराडिग्म शिफ्ट लानाः चाहे वह किसी भी तरह हो व्यापक गतिविधियां, पुरूषों के साथ यौन पार्टनर, पिता और समुदाय के सदस्य के रूप में काम करना

पुरूष, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार एवं समाज – एक ओर जहां पुरूषों की नीति दृष्टिकोण कुछ हद तक 'तर्कहीन' हैं और पुरूषों का यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के

मुद्दों के साथ जुड़ाव ही एक समस्या है। दूसरी तरफ़ समाज ने पुरूषों और उनके यौन और प्रजनन कौशल को तवज्ज़ो दी है। और यह समाज में पुरूष होने की अहम विशेषताएं है। कई संस्कृतियों में ताकत, नियत्रंण, अथकता, कई महिलाओं को संतुष्ट करने की क्षमता, बेटा पैदा करने की क्षमता को पुरूषों के वांछनीय मर्दाना लक्षण के रूप में देखा जाता है। कई संस्कृतियों में यह लक्षण लड़कों के पुरूष बनने की विशिष्ट संस्कारों के द्वारा उभारा जाता है। आज सामाजिक रूप से वांछनीय मर्दानगी विशेषताओं, जहां पुरूषों द्वारा महिलाओं पर बेजा ताकत का इस्तेमाल को अक्सर उनके लैंगिक भेदभाव और हिंसक व्यवहार से जोड़ा जाता है। यह एक ऐसा दुश्चक्र बनाता है जिसको लैंगिक समानता के परिपेक्ष में देखा जाता है। ''आदर्श'' मर्दानगी या ''वर्चस्ववादी'' मर्दानगी और महिलाओं की यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर सामाजिक नियत्रंण अलग–अलग संस्कृतियों में अलग–अलग है परन्तु उसके परिणाम अक्सर एक से ही होते हैं।

अगर हम दक्षिण एशिया का उदाहरण लें, जहां करीब 170 करोड़ लोग रहते हैं जोकि लगभग दुनिया की आबादी का कुल 1/4 हिस्सा हैं, वहां हम पाते है कि मर्दानगी के मापदंड, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मान्यताओं, रिवाज़ों और व्यवहार ज़टिलता से गुथें हुए हैं। इस क्षेत्र में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेकों चिन्ताएं हैं।

आइए हम उनमें से कुछ को जांच करते है –

कम उम्र में शादी – यह एक वैश्विक चिन्ता के रूप में उभरा है। दक्षिण एशिया और उप–सहारा अफ़्रीका इसके वैश्विक केन्द्र रहे हैं। इतिहास के एक अध्ययन से पता चलता है कि कम उम्र में शादी के खिलाफ आवाज 130 साल पहले उठाई गई थी और इसको रोकने के लिए 80 साल पहले कानून पारित किया गया था। उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में विवाह सामुदायिक और पारिवारिक मुद्दा रहा है और कुछ हद तक थोड़ी व्यक्तिगत स्वायत्तता होती है। यह सम्मान और यौन सुचिता के साथ पवित्रता, सामाजिक वर्ग और जाति के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ पुरूष की चिन्ताओं से भी जुड़ा हुआ है। यह बेटियों की यौन परिपक्वता और पिता द्वारा बेटी की कम उम्र में शादी कर सामाजिक भूमिका को अदा करने से भी जुड़ा है। अक्सर बेटियों के यौवन होने से पूर्व उसकी शादी कर देने का कारण उसको यौन नुकसान से सुरक्षित रखना होता है और जब यौवनास्था को प्राप्त होती है तब उसके असल में पति के घर भेज दिया जाता है। कई स्थानों पर शादी मर्दानगी के साथ प्रतिष्ठा की निशानी है और लड़कों को पारिवारिक ज़िम्मेदारी से जोड़ना भी है।

जल्द बच्चे पैदा करना – हालांकि इसको शादी के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। शादी के तुरंत बाद महिला पर सामाजिक दबाव या बाध्यता होती है कि वह अपनी प्रजनन क्षमता को साबित करे (वही दूसरी ओर पुरूष पर भी दबाव होता है कि वह बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं)। हालांकि समय के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से सम्पन्न लोगों में शादी की उम्र तो बढ़ी है परन्तु पहले बच्चे के जन्म से पहले गर्भनिरोधकों का उपयोग बेहद कम है।

घटता शिशु लिंगानुपात – यह धीरे–धीरे पूरे क्षेत्र मे प्रमुख लैंगिक मुद्दे के रूप में उभर रहा है और अगर बारीकी से देखें तो यह परिवार का घटता आकार और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार से भी जुड़ा मुद्दा है। सामाजिक तानाबानो की ज़िम्मेदारियों के संदर्भ मे बेटे की अहमियत और बेटी के साथ भेदभाव यह समाज की ऊपर उठने और आकांक्षाओं का विकृत रूप है।

पिता की ज़िम्मेदारी उठाना – बच्चे पैदा करने की क्षमता एक पुरूष की निशानी है और उसमें भी बेटा पैदा करना गौरव की निशानी है। अभी भी काफी संख्या में लोग संयुक्त परिवारों में रहते है और जहां पिता और उनके बच्चों में अक्सर दूरी बनी रहती है। जिसके कारण पिता को अपने बच्चो को ठीक से परवरिश करने के अवसर कम ही मिल पाते हैं। और जब बेटा बड़ा होता है तो उसके साथ संवाद उसको मर्द के तौर पर मजबूत बनाने पर ही होता है। कई केसों में पुरूष काम के सिलसिले में परिवार को छोड कर बाहर चले जाते है। ऐसी परिस्थिति में पुरूष से सामाजिक अपेक्षाएं और प्रसव के दौरान उनकी भागीदारी और बच्चों की परवरिश के अवसर बहुत ही कम मिल पाते है।

हालांकि क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक अपेक्षाओं और व्यवहार को लेकर काफ़ी भिन्नताएं हैं लेकिन फिर भी कुछ सामाजिक मापदंड समान है जो आज के संदर्भ में भी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसमे शामिल हैं –

- **महिलाओं का 'इज़्ज़ात' से जुड़ा होने का मुद्दा** – सुरक्षा, नियत्रंण और अपराधों पर हिंसा – जिसमे महिला हिंसा, ऑनर किलिग और दंडात्मक बलात्कार जैसे अनेकों सामाजिक प्रतिबंध शामिल हैं।
- **निजी और सार्वजनिक डोमेन के आधार पर पृथक्करण** – निजी डोमेन को सार्वजनिक जांच के लिए नहीं खोलना, चाहे वह मीडिया या कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाएं ही क्यों न हों, जिसकी वजह से कानून उतना प्रभावी नही रह पाता हैं।
- सांस्कृतिक आधार पर लैंगिक भेदभाव जो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार को प्रभावित करते हैं।
- सांस्कृतिक प्रदानुक्रम जोकि नैतिक रूप से धर्म, परम्पराओं और राष्ट्रवाद द्वारा संचालित होते हैं।
- बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक बदलाव जोकि भूमण्डलीकरण द्वारा संचालित होते हैं जिसमें कि कुछ लोग और समूह के पास अपार सम्पत्ति का होना और दूसरे अत्यन्त गरीब। दक्षिण एशियाई देशों में एक आम बात है कि महिलाओं का बड़े पैमाने पर औपचारिक वर्क़फोर्स का हिस्सा होना।
- **पितृसत्तात्मक मापदंडों में परिवर्तन का प्रतिरोध** – इसको बाहरी सांस्कृतिक 'आक्रमण' के रूप में देखना और अपनी पहचान से सम्बन्धित यह कट्टरवाद को सुदृढ़ करता है।

कोई भी प्रयास जोकि वर्तमान यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और लैंगिक मानदंडो में बदलाव लाना चाहते हैं उन्हें इन वास्तविकताओं को जाननें और समझने की ज़रूरत है। ऐसी

ही परिस्थितियां साउथ के अन्य देशों में भी परिलक्षित हैं। हालांकि इन विशिष्ट और विविध सामाजिक सांस्कृतिक वास्तविकताओं को सही तरह से समझे बिना उसको वैश्विक विकास की पहल में शामिल कर दिया गया।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के लिए संघर्ष में पुरूषों की भूमिका : पुरूषों ने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के लिए महिलाओं के संघर्ष में अच्छे सहायक की भूमिका निभाई है। एच. आई. वी. और एड्स इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां पुरूषों ने इन मुद्दों को सम्बोन्धित करने में अहम भूमिका निभाई। यद्यपि यह उपचार लेने से सम्बन्धित था। अमेरीका में जहां एच. आई. वी. और एड्स ने सबसे पहले इसे 'समलैंगिक रोग' के रूप में सुर्खियों में आया था वहां समलैंगिक पुरूषों के संगठन 'एक्ट अप'' ने कैम्पेन के माध्यम से एच. आई. वी. और एड्स के सस्ते और सुलभ उपचार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी ही भूमिका दक्षिण अफ़्रीका के ट्रीटमैंट एक्शन कैम्पन (टेक) ने निभाई थी जिसने एंटी–रेट्रो वायरल उपचार को सर्वव्यापी करने के लिए दक्षिण अफ़्रीका सरकार को संवैधानिक न्यायालय में ले गई।

4. **पुरूष और यौन तथा प्रजनन अधिकारः एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की ज़रूरत –** हालांकि यौन तथा प्रजनन अधिकार के मुद्दों में पुरूषों और लड़कों को शामिल करने की आवश्यकता को जनसंख्या और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रोग्राम एक्शन में जोड़ा गया परन्तु आज तक इसको लेकर ज़्यादा कुछ नही हुआ।

   यौन तथा प्रजनन अधिकारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को जोकि महिलाओं को हासिये पर ले जाने के साथ–साथ उनके द्वारा सामाजिक मापदंडों द्वारा महिलाओं के प्रजनन विकल्पों को नियंत्रित करने की अंतर्निहित शक्ति को भी समझने की ज़रूरत हैं। यह मानदंड आदर्श वर्चस्ववादी मर्दानगी के लिए 'मज़बूरिया' भी पैदा करते हैं जोकि अलग–अलग पुरूषों पर समुदाय की उम्मीदों द्वारा संचालित होते हैं। जिनकी एक्शन और अपेक्षाऐं महिलाओं की स्वायत्तता में रूकावटें ड़ाल कर प्रजनन स्वास्थ्य स्थिति और प्रजनन अधिकारों का प्रयोग करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं।

   वैकल्पिक दृष्टिकोण को इन सम्बन्धों को समझने की ज़रूरत है और अलग–अलग पुरूषों और पुरूषों के समूहों को समुदाय की उम्मीदों से मुक्त होने में मदद करने और उनकी खुद की सामूहिक एजेन्सी स्थापित करने पर मदद करें। जिससे वह आदमी की सकारात्मक छवि स्थापित कर पाये – एक प्यार करने वाला, बराबर का भागीदार, एक चिन्तित और सशक्त पिता, और इन सबसे ऊपर एक महिलाओं के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध समर्थक और योगदानकर्ता जो उनके साथ बराबर के अधिकार बांटता हो। एक कार्यकर्ता के तौर पर लैंगिक समानता को लेकर चिन्तित हो। हमारा काम सन्तुष्ट करता है कि वैकल्पिक दृष्टिकोण और पूरे संघर्ष की भूमिका न केवल संभंव है बल्कि अन्य पुरूषों को भी इस संघर्ष में शामिल किया हैं।

   मेनइंगेज जोकि पुरूषों और लड़कों के साथ लैंगिक समानता पर काम करने वाला वैश्विक गठबंधन है। मेनइंगेज इस दिशा में पहल करना चाहेगा कि किस तरह वह महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अलग–अलग जगह पर पुरूषों और लड़कों को नई भूमिका में जोड़ सके

इस पहल के समग्र उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- विभिन्न स्तर पर नेटवर्क के सदस्यों का क्षमतावर्धन करना
- यौन तथा प्रजनन अधिकारों के मुद्दे पर काम कर रहे महिलाओं के स्वास्थ्य के अधिकार आंदोलनों और अन्य संगठनों और सामाजिक आंदोलन के साथ सम्बन्ध विकसित करना।
- स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभियानों को सपोर्ट करना जोकि अलग–अलग पुरूषों और पुरूषों के समूहों में भेदभावपूर्ण सामाजिक मापदंडो को चुनौती देने और वैकल्पिक यौन तथा प्रजनन अधिकार के व्यवहार अपनाने के लिए जागरूकता फैला रहे है।
- लिंग आधारित यौन तथा प्रजनन अधिकारों की सभी के लिए सेवाओं के लिए उप–राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर राज्य के अधिकारियों और नीति निर्माताओं के लिए पैरवी को सपोर्ट और मज़बूती प्रदान करना।

नेटवर्क के सदस्य दुनियाभर में व्याप्त संस्कृतियों और प्रथाओं के बीच विविधताओं, अवधारणा नोट के कुछ व्यापक सिद्धान्तों की रूपरेखा तथा स्थानीय प्राथामिकताओं और वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र कार्य योजना तैयार करें।

5. दृष्टिकोण से वास्तविकता की ओरः कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त

स्थानीय वास्तविकताओं की समझ को विकसित करना – महिलाओं की यौन तथा प्रजनन अधिकार की वास्तविकताओं पर पुरूषों का शक्ति प्रयोग दुनिया भर में एक ही तरह से होता है परन्तु अलग–अलग तरह से किये जाते हैं। यह पुरूषों पर समुदाय की उम्मीदों द्वारा प्रबलित होती हैं। वर्तमान वास्तविकताओं को बदलने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत हैं।

शक्ति और सामूहिक उम्मीदों का भार विशेषरूप से पुरूषों पर होता है तभी वह अक्सर इसको साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह ऐसी स्थिति पैंदा करता है जहां अलग–अलग पुरूष ऐसे व्यवहार करते हैं जोकि उनकी धारणा से मेल नही खाता बल्कि यह प्रतिबिंबित करता है कि उनकी सोच समाज में उनकी कितनी अहमियत रखती है। ऐसी परिस्थितियों मे व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन, विशेष रूप से यौन तथा प्रजनन अधिकार के संदर्भ में शुरू करने और उसको बनाये रखने में मुश्किल पैदा करता है।

भारत में खाप पंचायत जैसी पारम्पारिक संस्थाओं द्वारा किसी अपराध (जाति/बिरादरी के बाहर शादी) के लिए दंडित करना सामूहिक उम्मीदों के निर्णय का एक उदाहरण है जो व्यक्तिगत निर्णय के बजाय सामूहिक उम्मीदों को तवज़्ज़ों देता है। यह सामाजिक मानदंड मज़बूत विश्वास प्रणाली द्वारा प्रबलित होते हैं जो महिलाओं को अपने अधीन रखते हैं। इन विचारधारा की विश्वास प्रणाली को समझे बगैर, समानता और लैंगिक न्याय के हित में, महिला और पुरूष के बीच मौलिक सम्बन्धों को बदलना और उसको बरकरार रखना संभव नही हैं।

रेखा चित्र 1 : सामाजिक पदानुक्रम में जेंडर

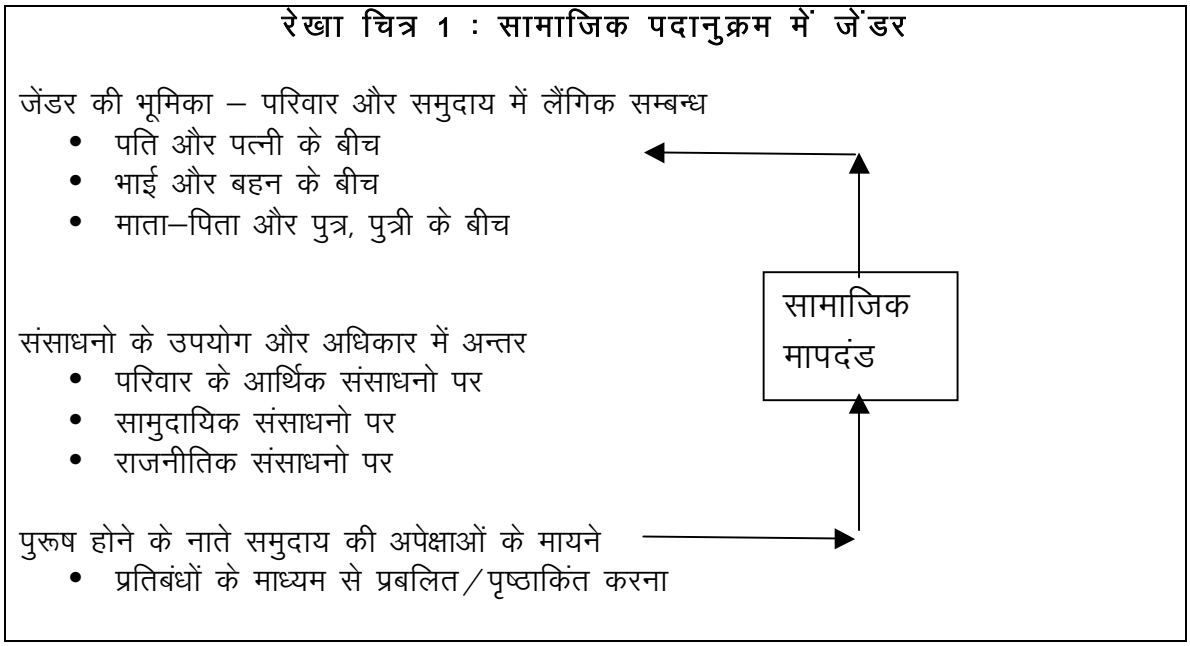

दक्षिणी विश्व के अधिकांश देश औपनिवेशिक देश रहे हैं और इसलिए इनके सामाजिक मापदंड औपनिवेशिक काल या नये होंगे जोकि अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग या समर्थन से समतावादी कानूनी फ्रेमवर्क के आधार पर विकसित किये गये होंगे। इसके लिए महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित सकारात्मक कानूनों पर सामाजिक समर्थन को पता लगाया जाये। क्योंकि कई मामलों में कानून और नीतियां यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच को समर्थन करते होंगे परन्तु सामूहिक उदासीनता या सेवा प्रदाताओं और/या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्थन की कमी के चलते संबंधित कानून लागू ही न हो। भारत में भी पॉलिसी में प्रावधानों की बाढ़ सी है जिसमें कम उम्र में शादी, दहेज और गर्भपात जैसे कानून तो है लेकिन उपरोक्त एजेंसियों की उदासीनता के कारण सही तरह से लागू नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय पितृसतात्मक सोच तथा भ्रष्टकारी शक्तियों के चलते अपनी यथास्थिति बनाये हुए हैं।

हालांकि पारम्पारिक समाज भी अपने मौलिक पितृसतात्मक नियत्रंण को बनाए रखते हुए, लगातार बदलाव की प्रक्रिया के साथ समझौता करते हुए महिलाओं के लिए और उनके प्रति कुछ नई आकांक्षाओं को जगह दे रहा है। वर्तमान वैश्विक नव–उदारवादी आर्थिक प्रतिमान इस सामाजिक बातचीत के लिए सही अवसर प्रदान करता है।

भारत में हम देखते है कि महिलाओं को आर्थिक संसाधनों पर अधिक अवसर मिल रहे हैं लेकिन विवाह जोकि परिवार द्वारा तय होते हैं वहां दहेज ने बाज़ार का रूप ले लिया है और बेटे को पैदा करने का दबाव भी बढ़ा है। एक क्षेत्र जहां महिलाओं की गतिशीलता बढ़ी, वह है युवा महिलाओं और पुरूषों में विवाह पूर्व सेक्स में संलिप्तता। हालांकि फिर भी गर्भनिरोधकों का बोझ (अक्सर आपात गर्मनिरोधकों तक सीमित) महिलाओं पर ही रहता है और लड़कों और लड़कियों की शादी परिवार द्वारा ही निर्धारित होती है।

महिलाओं के संघंर्ष के साथ एकजुटता – समाज में लैंगिक सम्बन्धों को बदलने के लिए नई पहलों को पता लगाने में एक प्रमुख चुनौती स्थानीय एरिया/सामाजिक परिवर्तन कार्यों और पहल को मैप करना है। सहस्त्रब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे प्रक्रियाओं से विकास की आकांक्षाओं को अर्न्तराष्ट्रीय विकास संगठनों (INGOs) और कुछ मामलों में स्वदेशी विकास संगठनों (NGOs) को फंड़ दिया जा रहा है जिससे वह विकास की आकांक्षाओ को पूरे करने में सरकार को सहयोग करें। प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दे जैसे कि गर्भनिरोधकों का उपयोग और मातृत्व स्वास्थ्य सेवायें इसी के अर्न्तगत आते हैं। वहीं कुछ देशों में स्वदेशी महिला संगठन, मानवाधिकार संगठन और सामाजिक आंदोलन अक्सर अधिक स्वायत्तता और गर्भपात का अधिकार, एलजीबीटी अधिकार में उलझ जाते हैं। एक समूह के तौर पर जिसका उद्देश्य सामाजिक सम्बन्धों (महिलाओं और पुरूषों के बीच यौन और प्रजनन के बीच) मौलिक परिवर्तन करना हैं, उन्हे विशेषरूप से महिला अधिकार संगठनों और स्वायत्त सामाजिक आंदोलन को यह दो समान दिखने वाले एक्टर के बीच अन्तर समझने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है कि यह एक्शन किस रूप में दूसरों पर प्रभाव डालेंगे।

एक और चिन्ता जिसकी ओर महिलाओं की समूहों ने अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग समय पर उठाई है कि वह डोनर्स का 'महिलाओं के अधिकार व महिलाओं के सशक्तीकरण' जैसे मूलभूत महत्वपूर्ण काम के बजाय 'पुरूषों के साथ काम करने पर' बेइतंहा फंड़ उपलब्ध करना। इसमे यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के परिपेक्ष्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जो स्टेट के हितों से टकराते है और अक्सर इन मुद्दों को और व्यक्तिगत डोनर्स से कम फंड़ मिलता है। अगर हम यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार की रूपरेखा तैयार करते हैं तो पाते हैं कि हमें इस मुद्दे पर विभिन्न संस्थाओं के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। विशेषरूप से उन समूहों के साथ जो स्टेट द्वारा स्वीकार्य मुद्दों पर हासिये पर काम कर रहे है। यह समझना ज़रूरी है कि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार लंबे समय से बहस का मुद्दा रहें हैं और अभी भी हैं। इस मुद्दे पर अभी तक जो प्रगति हुई है वह महिलाओं और महिला समूहों के प्रयासों से ही संभव हो पाई हैं जिन्होंने पारम्परिक ज्ञान और कानूनी सीमाओं को चुनौती दी। पुरूषों के समूहों के साथ काम करते हुए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि वह अपने आपको अलग–थलग और नजरअंदाज किया हुआ महसूस न करें।

व्यवहारिक स्तर पर मेनइंगेज पार्टनर्स समग्र नियोजन, क्रियान्वयन और समीक्षा में महिलाओं के स्वायत्त संघंर्षों के कार्यकर्ताओं को शामिल करें। साथ ही हमें रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पर हमारा काम पुरूषों द्वारा, पुरूषों के साथ या महिलाओं के काम के रूप में न होकर स्थानीय महिलाओं के संघंर्षों के साथ तालमेल से हो।

पुरूषों के कार्यों की ज़वाबदेही – यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पर जब हम समुदाय या सामूहिक कैम्पेन के स्तर पर हमारे खुद के द्वारा तैयार कार्य का क्रियान्वयन करें तो उसमें पुरूषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कार्य या स्टेट एजेंसियों द्वारा महिला के अधिकार पर किये गये कार्यों को सम्मिलित करें। यह ज़रूरी हैं कि मेनइंगेज के नेटवर्क के सदस्यों को इन घटनाओं और कार्यों को संज्ञान में लेना चाहिए और महिला आंदोलन को समझना और सहयोग करना चाहिए। पुरूषों के साथ योजनाओं और गतिविधियों को स्थानीय लैंगिक और यौन तथा

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के माहौल को ध्यान में रखते हुए तदनुसार काम करना चाहिए। पुरूषों द्वारा आमतौर पर लिंग सम्बन्धित उल्लंघन में कैसे फंसते इसकी चेतना तथा उसके खिलाफ़ उचित कार्रवाई स्थानीय महिलाओं के समूहों के साथ एकजुटता और उनके संघर्षों को मज़बूती देगा।

पुरूष विशेषाधिकार और ऍक्शन फॉर चेंज पर विचार – जेंडर परिवर्तनकारी बदलाव पर पुरूषों और युवाओं के साथ काम यह दर्शाता है कि पुरूषों द्वारा सूक्ष्मता से विचार समग्र प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है वरन यह पुरूषों को अवसर देता है कि उनके जीवन में महिलाओं के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्तों पर अवलोकन करें। स्वयं अवलोकन की यह प्रक्रिया पुरूषों और युवाओं को सामाजिक रिश्तों में श्रेणीबद्ध प्रकृति और स्वयं की व्यक्तिगत स्थिति ओर प्राथामिकताओं को समझने का अवसर देता हैं। लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की इस पूरी प्रक्रिया में विशेषाधिकार की समझ व्यक्ति विशेष के बदलाव में महत्वपूर्ण प्रेरणाश्रोत है। भारत में आमतौर पर सेक्स के अलग–अलग सामाजिक स्थितियों में, अलग–अलग पुरूषों को अपने जीवन में महिलाओं के साथ व्यक्तिगत सम्बन्धों में सबसे तीव्रता से परिवर्तन का अनुभव कराता है। और यह बदलाव व्यक्तिगत सम्बन्धों के डोमन मे कई जगह परिलक्षित हो सकते है जैसे कि यौन आत्मीयता, बच्चों की देखभाल या फिर घरेलू कामकाज में भागीदारी। इसलिए प्रोग्राम की कार्रवाई और संदेश यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों जैसेकि गर्भनिरोधकों का उपयोग तक ही सीमित न रहकर बल्कि महिलाओं की सामाजिक और प्रजनन स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले भेदभावपूर्ण सामाजिक मापदंडों के व्यापक स्पैक्ट्रम भी शामिल होने चाहिए। साथ ही पैतृकवाद के प्रति जागरूक और संरक्षणवाद के जाल से बचने की ज़रूरत है। महिलाओं की सुरक्षाा और (हिंसा और सभी प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन) से संरक्षण का विचार पुरूषों के हितों से जोड़ना अच्छी पहल है लेकिन साथ ही यह जानकारी होने की ज़रूरत है कि यह पितृसत्ता के स्वीकृत ढ़ांचे और आदर्श मर्दानगी की अनिवार्यता के भीतर फ़िट बैठता है।

नई ज़मीनी व सामूहिक विकास की परिवर्तन की आकांक्षाओं को विकसित करना – विकासशील देशों में बहुत से पारम्परिक समुदाय नव–उदारवादी आधुनिकीकरण की ताकत से तीव्रता से संघर्ष में लगे हुए हैं। महिलाओं पर नियत्रंण सौंपने में परम्परागत समाजों की सबसे अधिक सतर्क और कमजोर रहे हैं। और इस ओर विशेष अभियान की ज़रूरत है। दुनियाभर के कई हिस्सों में बढ़ते कट्टरवाद, पारम्परिक पैतृकवाद पर खतरा है और पुरूषत्व के नये विचारों को विदेशी विचार के रूप में महसूस किया जाता है। पब्लिक पॉलिसी और प्रोग्रामिंग में बिना पर्याप्त समर्थन के बदलाव करना अक्सर कई पारम्परिक समाजों में अप्रभावी होता है। इसलिए वर्तमान पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा जेंडर सम्बन्धों के संदर्भ में स्थानीय रूप से प्रासंगिक 'मामलों' को तैयार करना जिसको पुरूषों का पर्याप्त सामूहिक समर्थन हो। भारत में लिंग जांच घटते लिंगानुपात को 'पाप' और 'अवैध' के विचार दोनों को उल्टा ही पाया गया। पहले मामले में इसको नैतिक ढ़ांचे में इस्तेमाल कर अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार को सही ठहराया गया कि गर्भपात 'पाप' है। इसका वास्तव में उल्टा असर हुआ और महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की पहुंच से समझौता करना पड़ा। दूसरे मामले में प्रभावहीनता दिखाई दी जहां महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य

से बने कानूनो ंको गम्भीरता से नही लिया गया क्योंकि इनमें कही भी समुदाय की आकांक्षाएं प्रतिबिंबित नही होती थीं। इसलिए उनमें से किसी को भी गंभीरता से लागू नहीं किया गया।

इस प्रकार इस पूरे अभियान में मुख्य घटक और महत्वपूर्ण चुनौती अलग–अलग पुरूष होंगे जो अपने खुद के रिश्तों में पैतृकवाद में बदलाव को तबज़्ज़ो देते है और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार से सम्बन्धित व्यवहार पर साथ और समानता और लैंगिक न्याय पर अपने साथियों के समूह और सहयोगियों के साथ इसको सांझा करते हैं। एक नये ज़मीनी तर्क को विकसित करना होगा जो कि मौजूदा समुदाय की आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करता हो और साथ ही मौजूदा लैंगिक सम्बन्धों के नियत्रंण की धुरी को महिलाओं और लड़कियों की ओर मोड़ सके। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है क्योंकि बहुत से देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए या फिर महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले सामने आ चुके है। लैंगिक सम्बन्धों में जमीनी स्तर पर सामूहिक आकांक्षाओं के बदलाव के निर्माण के बिना अलग–अलग पुरूषों में इस बदलाव को बनाए रखना संभव नहीं है क्योंकि आदर्श मर्दानगी को सामूहिक आकांक्षाओं के ज़रिए ही बरकरार रखा जा सकता है। और रेखचित्र में दिखाए गये चक्र को तोड़ना और दुबारा बनाना ज़रूरी है।

सार्वजनिक नीति और प्रोग्रामिंग में बदलाव – इसको अक्सर मुख्य पैरवी के तौर पर देखा जाता है कि ज़मीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव के लिए कहा जाए और अर्न्तराष्ट्रीय समझौता और कार्य प्रगति की निगरानी का तर्क इसी समझ पर देश की प्रगति से जुड़ा है और अपने आप में निगरानी और मूल्यांकन के नये उद्योग को जन्म देता है।

साथ ही अलग–अलग देशों की प्रगति की सराहना का कई विकास की पहल के व्यवहार में बदलाव के तर्क अर्न्तराष्ट्रीय 'स्फूर्त कंडीशनिंग' के अर्न्तराष्ट्रीय मानक बन जाते हैं जो अलग–अलग देशों को अपनाने होते है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से कारक है जिसमें सिस्टम की क्षमता, पर्याप्त धन की उपलब्धता, भ्रष्टाचार/निरीक्षण की कमी व गर्वेन्स जोकि कई देशों को वांछित बदलाव को प्राप्त करने से रोकते हैं। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के क्षेत्र में बदलाव की चुनौती ज़्यादा हैं क्योंकि कई देशों को वांछित बदलाव के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लडना पड़ता है। इसका उदाहरण इस तथ्य से समझ सकते हैं कि पचास से अधिक देशों ने कन्वेनशन ऑन दी ऐलिमेनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिसक्रिमेनेशन अगेंस्ट वूमेन (CEDAW) को स्वीकृति/समर्थन में सहमति दी थी परन्तु आज तक कोई भी खत्म नहीं की जा सकी है। इनमें से ज़्यादातर अनुच्छेद 5 और 16 के अन्तर्गत प्रथागत प्रथाओं, विवाह और परिवार के सम्बन्धों, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के सम्बन्ध में है। हालांकि इस अर्न्तराष्ट्रीय समझौतों के मूल्य को नकारा नहीं जा सकता लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सार्वजनिक नीति कार्यों को बेहतर बनाने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं।

मेनइंगेज नेटवर्क के सदस्य महिलाओं द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच व उपयोग करने व उसमें सुधार नीति के समर्थन में बेहतर स्थिति में है। इसके विशेष रूप से सेवाएं जो पुरूषों से जुड़ी है जैसे कि गर्भनिरोधक और एस.टी.आई./एच.आई.वी. और एड्स के संदर्भ में स्थानीय स्तर

पर पॉलिसी एक्शन की मांग राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी सार्वजनिक सेवाओं को सक्रिय करने की आवश्यकता है। जिसको आगे स्थानीय मांगो तक भी बढ़ाया जा सकता है। इन मांगों को महिला संगठनों के साथ साझेदारी में किया जाना चाहिए जिससे कि यह न लगे कि यह महिलाओं के ऊपर थोपा गया है। इसे आगे एक संरक्षण कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। साथ यह पब्लिक पॉलिसी की मांग को पहले पुरूषों के समूह जो कि खुद भी सम्बन्धी व्यवहार पर काम करते हैं, उनके द्वारा यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि उनके खुद के एक्शन और जो पॉलिसी की वह मांग कर रहे है उसमें सामजस्य हैं।

स्थानीय कार्ययोजनाओं को लागू करने डिज़ाइन करने व निगरानी प्लान करने में सर्तकता – सामाजिक बदलाव पर पुरूषों के साथ काम करना जोखिम भरा होने के साथ–साथ रोमाचंक भी हो सकता है। पारम्परिक रूप से पुरूष के पास महिलाओं को नियंत्रित करने की ताकत होती है और इसको आसानी से नही त्यागेंगे। हालांकि सभी पुरूष सर्वोच्च अधिकार नहीं रखते हैं चाहे ख्वहिश भले ही हो। यह अधिपत्य प्रतिभा या आदर्श पुरूषत्व का करिश्मा अधीनस्थ स्थिति में रह रहे पुरूषों को मजबूर करता है कि वह वही दोहरायें जो सामाजिक मापदंडों को बरकरार रखता है। पुरूषों के साथ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पर काम करना पुरूषों को उनके खुद के एक्शन को फिर से देखने का और उसके परिणाम को देखने का अवसर देता है जिसको वह संजोते हैं। सत्ता और विशेषाधिकार की परीक्षा और पुरूषों के द्वारा किये गये परिणाम उनको सामाजिक संबंधो को प्रतिबिंबित करने का अवसर देते हैं। पितृसत्ता और वर्चस्ववादी मर्दानगी, पारम्पारिक समाजों में श्रेणीबद्ध सामाजिक रिश्तों की एक श्रृखंला की परस्पर क्रिया के माध्यम से एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। यह जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग, धार्मिक बहुसंख्यवाद और विभिन्न स्थानों में सामाजिक शक्तियों पर कुठारघात है। लैंगिक सम्बन्धों की परीक्षा और समानता की सराहना आंतरिक सामाजिक आकांक्षा पुरूषों को सामाजिक न्याय के अन्य क्षेत्रों में काम करने को प्रेरित करेगा। अगर इस दिशा मे काम आगे बढ़ता है तो वह वास्तव में परिवर्तन होकर उभरेगा और उसमें ज़बरदस्त क्षमता की वजह से सामाजिक बदलाव का अगुआ होगा। साथ ही मर्दानगी प्राप्त करने की लालसा और बूढ़ों द्वारा विध्वंसक नियत्रंण के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। यह भी संभव है कि अलग–अलग पुरूष और समूह महिलाओं के कल्याण के नाम पर पैतृक दृष्टिकोण अपनाते हैं और समय के साथ अपनी खुद की शक्ति को बढ़ाकर महिलाओं पर नियत्रंण कर पूरी प्रक्रिया को उल्ट–पुल्ट कर सकते हैं।

सभी मेनइंगेज नेटवर्क के सदस्यों और सहयोगियों को एक साथ मिलकर रोमांचक काम को विकसित करने और क्रियान्वित करने के लिए बहुत बधाई।